



556/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 11620/28/76/एक/2018-19
सेवा में,

दिनांक 08 मार्च 2019

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-फिरोजाबाद।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	30304503371	IFSC Code SBIN0004052	180.60

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	वार्ड नं० 21 मो० शान्ती नगर में बड़ेलाल से दुर्गामन्दिर, दुर्गा मन्दिर से चन्द्रपाल एवं चन्द्रपाल से रामदीन तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	10.498	100%
2	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	वार्ड नं० 21 मो० शान्ती नगर में किशनपाल से नाला, लाखन सिंह रामबाबू दिवाकर, पप्पू से मोढ तक, चुन्नीलाल से मोढ तक एवं प्रमोद के मकान से तिराहे तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	17.910	100%
3	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	वार्ड नं० 21 मो० शान्ती नगर में लाल दिल्ली वाले से मीरा शम्भू तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.109	100%
4	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	मो० श्री नगर फिरोजाबाद में माता मन्दिर से नाला तक आशाराम से दिनेश, महाराज सिंह से फौजी एवं जवाहर सिंह वाली गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	26.059	100%
5	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	वार्ड नं० 45 मो० नगला विष्णू में भूरी सिंह से संजय, राकेश से पप्पू, वीरेन्द्र से राजेन्द्र सिंह, हरीश चन्द्र से रामअवतार एवं अशोक से भूप सिंह तक, रामू से मुकेश श्याम से संजय तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	17.972	100%



556/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
6	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	वार्ड नं० 30 मो० नीबू वाला बाग में अनिल से दिनेश चन्द्र, छोटेलाल से रामसेवक, हरिओम गुप्ता वाली गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	13.114	100%
7	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	वार्ड नं० 28 मो० हिमांयूपूर में गौतम सिंह से प्रमोद राठौर सतीश से विनोद कुमार अखलेन्द्र से प्यारेलाल तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	10.000	100%
8	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	वार्ड नं० 19 मो संतनगर में हरीराम से अनिल, गंगा सिंह से प्रेमपाल, रामसिंह से वेद प्रकाश तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	10.276	100%
9	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	वार्ड नं० 19 मो संतनगर में प्रेमलता से हीरालाल, जयदयाल से दलवीर, मनोज वाली गली में नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	10.739	100%
10	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	वार्ड नं० 19 मो० मोहन नगर में श्याम सिंह से बॉबी, बॉबी से साहब सिंह साहब सिंह से धर्मेन्द्र, प्रीतम सिंह से शिवदयाल, ऊषा से देवेन्द्र, पूरन वाली गली, प्रीतम सिंह से नहार सिंह तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	22.714	100%
11	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	वार्ड नं० 24 मो० कुशवाह नगर में सन्तोष से रामरतन एवं जगदीश से रामरतन तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	5.152	100%
12	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	वार्ड नं० 20 मो० सत्यनगर में हरीश कश्यप से राजवीर कश्यप तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग का कार्य।	7.847	100%
13	फिरोजाबाद	म०ब०-83	न०नि० फिरोजाबाद	वार्ड नं० 20 मो० इन्द्रपुरी में लटूरी से सतीश गुप्ता, सतीश गुप्ता से राम मिलन, अशोक वाली गली, रमेश वाली गली एवं जैन पाल से पप्पू तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	21.210	100%
	योग				180.60	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।



556/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दौरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक